**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1810**
**16 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**प्रतिबंधित रसायन**

**1810. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश में फलों को पकाने और पौधों की तीव्र वृद्धि के लिए विकसित देशों में प्रतिबंधित निषिद्ध/ हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसे रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने एफ़एसएस (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 अधिसूचित किया है जो फलों को पकाने के लिए ऐसेटिलिन गैस/कार्बाइड गैस के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ-साथ, 100 पीपीएम सांद्रता पर एथिलिन गैस के प्रयोग से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने की अनुमति दी गई है बशर्ते यह फलों के सीधे संपर्क मे नहीं आती हो।

एफ़एसएस अधिनियम 2006, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का कार्यान्वन और प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र में आता है, खाद्य उत्पादों की निगरानी, मोनिट्रिंग, निरीक्षण और सेम्प्लिंग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जाती है। एफ़एसएस अधिनियम 2006, और इसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों(एफ़बीओ) के खिलाफ दंडात्मक कारवाई शुरू की गयी है।

*****